



Neutral Citation No - 2026:AHC:24349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4327

इन्द्रवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 24 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ललित कुमार गौड़

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित एकमात्र अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, हण्डिया, जिला प्रयागराज को यह निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 2647/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202502030402647) (इन्द्रवीर सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह) को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें।
3. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण याचिका में ऐसा कुछ भी अभिकथित नहीं किया गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है, और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अधस्थ न्यायालय को उपर्युक्त वाद को समयबद्ध रीति से विनिर्णीत करने हेतु निर्देशित किए जाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 में दाखिल किया गया है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। तथापि, अधस्थ न्यायालय से अपेक्षित है कि वह किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर उपर्युक्त वाद को विधि के अनुसार कड़ाई से विनिर्णीत करे, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।
5. उपर्युक्त प्रेक्षणों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"